

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नावां (डीडवाना-कुचामन) राज.

पीठासीन अधिकारी :- श्री विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राज. सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सिटी		1. भंवरीदेवी पत्नि सुखाराम जाति जाट 2. मुकुल पुत्र सुखाराम जाति जाट 3. महेन्द्रकुमार पुत्र माणकचन्द जाति जाट 4. लिछमादेवी पत्नि माणकचन्द जाति जाट सा. भीलाल तह. कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एल.आर.ए.

मुकदमां नम्बर :- 28 / 2024

निर्णय दिनांक :- 30.01.2024

आदेश

तहसीलदार कुचामन सिटी ने ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 379/218 रकबा 6.13 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से प्रार्थना पत्र में वर्णित रास्ते के विवरण में दी गई भूमि वर्षों से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है। लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी-2 दर्ज हैं। तहसीलदार कुचामन सिटी ने प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 379/218 रकबा 6.13 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में बारानी-2 से गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 379/218 रकबा 6.13 हैक्टर किस्म बारानी-2 दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं तथा मौके पर वर्षों से रास्ता कायम हो रखा है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 379/218 रकबा 6.13 हैक्टर किस्म बारानी-2 मौके पर रास्ते के रूप में उपयोग आ रही हैं। प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित हैं लेकिन जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं हैं तथा तहसीलदार कुचामन सिटी ने उक्त खसरा नम्बर की भूमि को गै.मु. रास्ता जमाबंदी में दर्ज करने हेतु अपनी सहमति दी हैं। इस संबंध में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र क्रमांक/प.3(2) राज-6/2003/पार्ट/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 ऐसे मामलों को रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निर्देश दिये हैं।




उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

अतः तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 132 में दिये गये प्रावधानों के अनुसरण में ग्राम कोटड़ा पटवार हल्का जीजोट तहसील कुचामन सिटी के खसरा नम्बर 379/218 रकबा 6.13 हैक्टर किस्म बारानी-2 में से 0.0680 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता की भूमि खातेदारों की खातेदारी यथावत रहेगी। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा निर्णय का अंभिन्न अंग रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार कुचामन सिटी को पालनार्थ भिजवाई जावें।



(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी, नावां
उपखण्ड अधिकारी
नावां (बीडवाना-कुचामन)